

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम पातो का बास की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 33 में मेरा/हमारे नाम चेनाराम पुत्र डमीदा

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम चेना राम पुत्र डमीदाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

चेनाराम
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

उपरोक्त पटवारी के अनुसार चेनाराम पुत्र डमीदाराम के स्थान पर चेना राम पुत्र डमीदाराम नाम शुद्ध करने की कृपा की जाती है।

राम
रिपोर्ट

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी

9ems-2025/586

आदेश

क्रमांक 12025/1586-1676

दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पातो का बास की जमाबन्दी संवत् 2022-80 के खाता संख्या 33 में चेनाराम पुत्र डमीदा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

चेना राम पुत्र डमीदाराम

की जाती है।



स्वीकृति प्रदान
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)